विवरणी

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार ललित टेटे पिता - इमानुएल टेटे को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के स्वयं ललित टेटे द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम तलमंगा खाता सं० 241 रकबा 2.85 ए० खेसरा सं० 957/3764 वर्ष 2006-07 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान ललित टेटे ने अपना लिखित बयान दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त Rent Schedule दस्तावेज प्रस्तुत किया है। .... है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है। रा०उ०नि० एवं अं०नि० ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम तलमंगा खाता न० 241 प्लॉट न० 957/3764 सर्वे खतियान में किस्म मझोला जंगल दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा० दिनांक 21.12.2017 के कंडिका–5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा०उ०नि० एवं अ०नि० ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ललित टेटे पिता - इमानुएल टेटे ग्राम तलमंगा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :–

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
तलमंगा	50	241	977/3764	2.85 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा० दिनांक 21.12.2017 के कंडिका–5 के उप कंडिका II (ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/ रा० दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
बोलबा 28/8/21

अंचल अधिकारी,
बोलबा 28/8/21

Digitally signed by Baliram Manjhi
Date: 2021.08.31 16:07:11 +05:30
Location: 192.168.39.65

Scanned with CamScanner